महत्वपूर्ण / आवश्यक

संख्या- 2675 / 60-2-16-2 / 1(26) / 12

प्रेषक,

1. डिम्पल वर्मा,
प्रमुख सचिव,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0शासन।

2. श्री चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
पंचायतीराज विभाग,
उ0प्र0 शासन।

3. दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 19 अक्टूबर अगस्त, 2016

विषयः-आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह सूच्य है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार के सचिव, ग्राम्य विकास तथा सचिव, पंचायती राज के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संख्या-J-11016/11/2012-MGNREGA-IV दिनांक 13.08.2015 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं एवं इसी क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास, सचिव, पंचायतीराज एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र संख्या-J-11016/11/2012-MGNREGA-IV दिनांक 17.02.2016 द्वारा भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है, जिसके अनुसार प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु रू. 5.00 लाख तक की धनराशि मनरेगा से तथा पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था पंचायतीराज विभाग से व्यय किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त अवशेष रू. 2.00 लाख की धनराशि का अंशदान आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

2. उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आलोक में मनरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपदों के श्रम बजट के सापेक्ष सामग्री अंश की उपलब्धता के दृष्टिगत प्रदेश में कुल 11075 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण का जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

3. आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध मे कार्यदायी संस्था के निर्धारण के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है, जो जनपद मे ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की क्षमता के अनुसार उसे लगभग आधे केन्द्र / भवनो का निर्माण कार्य सौप सकते है और अवशेष आगनबाड़ी केन्द्र / भवनो के निर्माण हेतु मनरेगा के अन्तर्गत निर्धारित अन्य कार्यदायी संस्थाओं को नामित कर सकते है परन्तु जिलाधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण हेतु नामित किया जाय जो कन्वर्जेन्स के अधीन समयान्तर्गत एव गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने मे सक्षम हो। आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु स्थल का चयन करते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करा लें, कि चयनित स्थल आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु उपयुक्त हो तथा यदि समीप के प्राथमिक स्कूल परिसर मे भूमि उपलब्ध हो तो उस परिसर में निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

4 इस सबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनबाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण का कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकताओ मे सम्मिलित है। अतः भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत / मानक के अनुसार रु0 5.00 लाख की धनराशि सीमा तक मनरेगा योजना से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये वहन किया जायेगा। आंगनबाड़ी केन्द्र भवनो मे पेयजल एव शौचालय की व्यवस्था हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा रू.1.06 लाख की धनराशि चौदहवे वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। तथा बाल विकास एव पुष्टाहार विभाग द्वारा रू. 2.00 लाख की धनराशि वहन कर कन्वर्जेन्स के माध्यम से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस संबध में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा दिये दिशा–निर्देशों का किसी भी दशा में उल्लघन / विचलन न हो तथा गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीया,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव

भवदीय

(चचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव